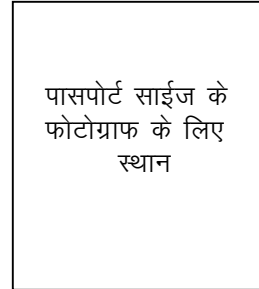


प्रारूप सं 3
(नियम 3 (क) 13 देखिये)
शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति

तारीख.....

अनुज्ञप्ति संख्या

1. नाम
2. का पुत्र/की पत्नी/ की पुत्री
3. जन्म तारीख
4. रक्त ग्रुप और आर.एच. फैक्टर
5. वर्तमान पता —स्थायी
अस्थायी पता सरकारी पता (यदि कोई है।)
6. पहचान चिन्ह (1)
(2)



एक शिक्षार्थी के रूप में केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित वर्ग के मोटरयान को भारत में सर्वत्र चलाने के लिए अनुज्ञप्त किया जाता है।

अनुज्ञप्ति धारक ने केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 5 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण और नियम 11(1) में निर्दिष्ट प्रारम्भिक परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया है।

अनुज्ञप्ति धारक , केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 6 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण और नियम 11(2) के अधीन प्रारम्भिक परीक्षण से छूट प्राप्त है।

यह अनुज्ञप्ति -----से -----तक विधिमान्य है।

जो लागू न हो उसे काट दें।

चेतावनी :-

इस अनुज्ञप्ति के धारक का ध्यान केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 3 की ओर आकर्षित किया जाता है। जो उसे मोटर यान को चलाने के लिए तब तक प्रतिषिद्ध करता है जब तक कि उसके पास यान को चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्त कोई व्यक्ति न हो और प्रत्येक दशा में ! प्लेट यान के आगे और पीछे दोनों ओर न लगी हुई है।